दिनांक 27/01/2024 को देहरादून पुलिस ने थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत कडवापानी नयागाँव स्थित हरिओम आश्रम मे घुसकर उपद्रव करने व तोड-फोड कर धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचने के मामले मे 02 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 26-01-2024 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत कडवापानी नयागाँव स्थित हरिओम आश्रम जहाँ पर गौशाला बनी हुई है कुछ लोग महिला पुरुष वहाँ पर जाकर गायों की वीडियो बना रहे है जिस कारण दोनो पक्षो मे विवाद हो रहा है इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के मौके पर पंहुचे तो उक्त गौशाला मे राधा सेमवाल धोनी अपने समर्थको के साथ गौशाला की वीडियो बना रहे थे और गायो को लेकर काफी आक्रोशित थे। जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल कर लोगो भडकाने का काम कर रहे थे और उनके साथ उपस्थित महिला पुरुष सभी लाठी-डण्डो से लेस होकर गौशाला के कमरो मे मौजूद सभी कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौच कर रहे थे और गौशाला के बाहर खडे वाहनो को भी लाठी-डण्डो से तोड-फोड कर क्षतिग्रस्त कर रहे थे। मौके पर काफी समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वह नही माने जिस कारण उक्त उपस्थित सभी व्यक्तियो के विरुद्व प्रभारी निरीक्षक थाना पटेलनगर द्वारा कोतवाली पटेलनगर पर मु0अ0सं0: 64/24 धारा: 147, 148, 152, 186, 342, 353, 427, 436, 452, 504, 506, 511 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसके क्रम मे शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु राधा सेमवाल धोनी व मोहित बडथ्वाल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त गणो को आज नियमानुसार माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1-राधा सेमवाल धोनी पत्नी चन्द्र सिह धोनी निवासी चन्द्रमणी चोयला द्वारिकापुरी पो0ओ0 मोहब्बेवाला थाना पटेलनगर जनपद देहरादून उम्र-50 वर्ष ।

2-मोहित बडथ्वाल पुत्र चन्द्र मोहन बडथ्वाल निवासी टर्नर रोड लेन नं0-07 नियर बेलमेड अस्पताल थाना क्लेमनटाउन जनपद देहरादून उम्र 26 वर्ष ।

उक्त प्रकरण में 02 अन्य मुकदमे भी पंजीकृत किए गए है:-

(1)- वादिनी सुनीता काम्बोज पत्नी अरविन्द काम्बोज निवासी हरिओम आश्रम कडवापानी कारबारी ग्रान्ट द्वारा थाना पटेलनगर में लिखित तहरीर दी कि दिनांक: 26-01-24 को राधा सेमवाल धोनी द्वारा अपने समर्थकों के साथ कडवापानी नयागांव स्थित हरिओम आश्रम में आई तथा उनके द्वारा आश्रम के कर्मचारियो के साथ मारपीट, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए आश्रम में तोडफोड कर आश्रम के बाहर खडे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ दिन पूर्व भी उनके द्वारा आश्रम के महंत से आश्रम को संचालित करने के एवज में अनैतिक रूप से 01 लाख रू0 की मांग की गई थी तथा आश्रम के मंहत द्वारा पैसा न देने पर उनके द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर राधा सेमवाल धोनी तथा उसके समर्थकों के विरूद्ध थाना पटेलनगर में मु0अ0सं0: 66/24 धारा: 147, 323, 354, 384, 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीतृत किया गया।

(2)- दिनांक: 26-01-24 को राधा सेमवाल धोनी द्वारा कडवापानी नयागांव स्थित हरिओम आश्रम में रखी गयी गौं वशों के साथ आश्रम संचालक द्वारा बर्बरता किये जाने तथा इस समबन्ध में उनसे जानकारी करने पर आश्रम में कार्यरत महिलाओं व पुरुषो द्वारा उनके साथ मारपीट कर गाडियो को क्षतिग्रस्त करने के समबन्ध में थाना पटेलनगर पर राधा सेमवाल धोनी द्वारा दी लिखित तहरीर , जिसके आधार पर थाना पटेलनगर में मु0अ0सं0: 65/24 धारा: 3/11 उत्तराखण्ड गौ वंश सरंक्षण अधिनियम तथा धारा: 323, 427 भादवि बनाम हरिओम व शिवोहम व उनके अन्य साथी निवासी हरिओम आश्रम कड़वापानी नयागांव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।